(3D)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. मिश्रा

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 455–तीन/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–02–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 21/अपील/04-05

रामनरेश तनय स्व. मनविश्राम बढ़ई
निवासी- ग्राम लोही, तहसील हुजूर–
जिला- रीवा

–––––अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा
जिला-रीवा(म.प्र.)

–––––प्रत्यर्थी

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री नरेन्द्र सिंह, शासकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/6/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-02-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लोही तहसील हुजूर की भूमि खसरा क्रमांक 995 रकबा 0.69 का कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 6/अ-59/88-89 में आदेश दिनांक 25-11-88 द्वारा चरनोई दर्ज किये जाने का आदेश हुआ था, जिस पर आवेदक ने कलेक्टर रीवा के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की

गई है तथा उसका नामांतरण भी हो चुका है। उक्त भूमि चरनोई से मुक्त किया जावे। जहॉ कलेक्टर रीवा ने अपने आदेश दिनांक 24-08-2004 से आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया। कलेक्टर के आदेश दिनांक 24-08-2004 से व्यथित होकर आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील पेश की, जो प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2004-05 में दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 22-02-2010 से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर निरस्त किया कि प्रश्नाधीन भूमि पूर्व में ही आदेश दिनांक 25-11-88 के अनुसार चरनोई घोषित की गई है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि को चरनोई से मुक्त किये जाने का जो आवेदन प्रस्तुत किया था, उसमें किसी नियम अथवा अधिनियम का उल्लेख ही नहीं किया है। जबकि किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद नियम/अधिनियम के अंतर्गत ग्राहय किये जाने योग्य होती है। प्रकरण में संलग्न खसरा की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक ने जो वादग्रस्त भूमि के संबंध चरनोई मुक्त किये जाने का जो आवेदन दिया था वह वादग्रस्त भूमि वर्ष 1988-89 से 92-93 एवं 93-94 से 98-99 तक मध्यप्रदेश शासन, चरनोई अंकित है अथवा उक्त भूमि शासकीय है। इसी कारण कलेक्टर रीवा ने आवेदक के आवेदन को प्रचलन योग्य न मानते हुये निरस्त किया है। अपर आयुक्त द्वारा भी कलेक्टर रीवा के आदेश को उचित पाते हुये अपील निरस्त की है। दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। प्रकरण में इस न्यायालय में अपीलांट ने ऐसे कोई तथ्य पेश नहीं किये है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप किया जावे ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अपर आयुक्त् आदेश दिनांक 22-02-2010 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

27/6/18

(आर.के. मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर